UPBJ010013882019

**न्यायालय Spl. Judge (E.C.Act), Bijnor**

**पीठासीन अधिकारी–** (Sri Champat Singh), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06020**

**लघुवाद सं0–01/2019**

सुभाष चन्द बनाम नईम अब्दुल आदि

**10–08–2021**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज तिथि प्रार्थना पत्र 25–ग पर आदेश हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण की ओर से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ए सी0पी0सी0 इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादीगण ने सतीश चन्द्र शर्मा जो दुकान के लैण्डलोर्ड एवं मालिक है से किराये पर ली है। वादी न तो दुकान का मालिक है और न ही लैण्डलोर्ड है। वाद पत्र में भी बिनाए दावा के उत्पन्न होने की दिनांक का उल्लेख नही किया गया है। अतः वाद पत्र निरस्त होने योग्य है।

वादी की ओर से आपत्ति 26–ग प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित सम्पत्ति स्व0 कैलाश चन्द्र शर्मा की थी। उनकी मृत्यु के बाद विवादित सम्पत्ति के मालिक वादी व वादी के भाई सुरेश चन्द्र शर्मा, सतीश चन्द्र शर्मा हुये। सुरेश चन्द्र शर्मा का भी देहान्त हो गया है। उनके 1/3 भाग के मालिक उनके पुत्र मनोज शर्मा, पंकज शर्मा, नीरज शर्मा हुये। इस प्रकार विवादित सम्पत्ति वादी तथा भाई सतीश शर्मा तथा भतीजे मनोज शर्मा, पंकज शर्मा व नीरज शर्मा की संयुक्त सम्पत्ति हुई और वादी विवादित सम्पत्ति 1/3 भाग का सहस्वामी हुआ। वादी को पूर्ण अधिकार वाद प्रस्तुत करने का है। वादी विवादति सम्पत्ति का मालिक अथवा सहस्वामी है या नहीं इस बिन्दु का निस्तारण सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विधि के विश्लेषण के बाद से ही निकाला जा सकता है। सतीश चन्द्र शर्मा को वादी द्वारा एक नोटिस दिनांक 28–05–2018 को प्रेषित किया गया था जिसका जबाव सतीश चन्द्र ने दिया। जो पत्रावली पर कागज 22–क है। जिसमें सतीश चन्द्र शर्मा ने पैरा नं0 3 में यह स्पष्ट लिखा है कि प्रश्नगत दुकान के मालिक स्व0 कैलाश चन्द्र शर्मा जी ने अपने जीवन काल में मौखिक रूप से अपने छोटे पुत्र सतीश चन्द्र शर्मा को, जो बेरोजगार थे, उन्हे दे दी थी, इससे स्पष्ट है कि सतीश चन्द्र शर्मा विवादित सम्पत्ति के मालिक थे। खिलाफ कथन प्रार्थना पत्र इसके सरासर गलत व

Digitally signed by Champat Singh
Date: 2021.08.10 15:40:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

झूठ है। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्राविधान वर्तमान वाद पर प्रभावी नही होते है। अतः प्रार्थना पत्र खण्डित फरमाया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वादी ने वाद पत्र में न तो कोई वाद कारण दर्शाया है और न ही कोई वाद कारण उत्पन्न होने का दिनांक अंकित किया है तथा प्रतिवादी वादी का किरायेदार नहीं है, बल्कि विवादित दुकान का लैण्डलोर्ड सतीश चन्द्र शर्मा है तथा सतीश चन्द्र शर्मा से ही विवादित दुकान किराये पर ली है और उसी को प्रतिवादी किराया अदा कर रहा है। प्रतिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में 1993 ए0एल0जे0 2, राज मोहन कृष्णा बनाम 2 ए0डी0जे0 व अन्य की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की है जिसमें माननीय उच्च न्यायलय द्वारा यह अवधारित किया है कि लैण्डलोर्ड की श्रेणी में वह व्यक्ति आता है जिसको किराया अदा किया जा रहा हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति भवन का स्वामी हो।

जबकि वादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी विवादित दुकान का सहस्वामी है तथा प्रतिवादी उक्त दुकान का किरायेदार है। अतः वादी को बेदखली हेतु वाद दायर करने का पूरा अधिकार है। वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में 2013(4) ए0डी0जे0 399, मुंशीलाल बनाम गोपाल साओ व अन्य की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किरायेदार की बेदखली का वाद कोई भी सह स्वामी ला सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0 22–ग जबाब नोटिस जोकि बृजवीर सिंह एडवोकेट द्वारा सतीश चन्द्र शर्मा की ओर से वादी को दिया गया है उसमें वादी के शजरा का उल्लेख किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत दुकान जैसा कि वाद पत्र में अंकित किया गया है मृतक श्री कैलाश चन्द्र शर्मा की रही है। जहां तक वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न है वादी की ओर से अपने वाद पत्र के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया है कि वाद का हेतु प्रतिवादीगण को कानूनी नोटिस देने पर तामील होने के बावजूद भी किराये की राशि का भुगतान नहीं किया और न ही विवादग्रस्त दुकान का कब्जा दिया गया। इसलिये प्रतिवादी के इस तर्क में बल प्रतीत नही होता है कि वादी ने बिना वाद कारण उत्पन्न हुये वाद दायर किया हो। जहां तक लैण्डलोर्ड तथा भवन स्वामी का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विधि का विश्लेषण करने के बाद ही सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चूंकि प्रतिवादी कथित लैण्डलोर्ड को प्रश्नगत दुकान का किराया अदा कर रहा है। पक्षकारों के साक्ष्य आना शेष है। पत्रावली पर

वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र 24–क दाखिल है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

**आदेश**

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 25–ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह पी0डब्लू0 1 दिनांक 18–08–2021 को पेश हो।

दिनांक–10–08–2021

(चम्पत सिंह)
स्पेशल जज, (ई0 सी0 एक्ट)/
अपर अपर जिला जज, बिजनौर